

8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया—

कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।

परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:—

| परीक्षा का चरण                                                                                                                                                   | कॉन्स्टेबल<br>(सामान्य)    | कॉन्स्टेबल<br>(चालक)       | कॉन्स्टेबल<br>बैण्ड        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| लिखित परीक्षा (OMR Based)                                                                                                                                        | 150                        | 150                        | लागू नहीं                  |
| शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा<br>(PET/PST)                                                                                                                       | योग्यात्मक<br>(Qualifying) | योग्यात्मक<br>(Qualifying) | योग्यात्मक<br>(Qualifying) |
| दक्षता परीक्षा (Proficiency Test)                                                                                                                                | लागू नहीं                  | 30                         | 30                         |
| विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं<br>पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/<br>उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर<br>आवंटित अंक (Special Qualification) | 20                         | लागू नहीं                  | लागू नहीं                  |
| अंकों का योग                                                                                                                                                     | 170                        | 180                        | 30                         |

9. लिखित परीक्षा (OMR Based Test)

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 01 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी—

| भाग — विषय                                                                                                                                                                                            | प्रश्न | अंक |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| अ—विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान                                                                                                                            | 60     | 60  |
| ब—सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएँ व संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी | 45     | 45  |
| स—राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि                                                                                                                          | 45     | 45  |
| कुल                                                                                                                                                                                                   | 150    | 150 |

लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ ए-2/84/ पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-9 में वर्णित नियम-18 ए(i) के अनुसार देय होगा। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ भाग-2 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

लिखित परीक्षा (OMR Based Test) के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा, जिसकी सूचना एवं परिणाम विभाग की बैवसाईट [www.police.rajasthan.gov.in](http://www.police.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकेगी तथा सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर चशपा की जावेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जाएंगे।

आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) माह जून/जुलाई, 2025 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

